**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं0 232**

**दिनांक 08 अगस्‍त, 2018**

**पेट्रोल पम्पों पर मीटरों में छेड़छाड़**

**\*232. श्री अहमद अशफाक करीमः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पेट्रोल पम्पों पर मीटरों में छेड़छाड़ करके उपभोक्ताओं के साथ धेखाधड़ी किए जाने संबंधी कितने मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं, तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**“पेट्रोल पम्पों पर मीटरों में छेड़छाड़” के संबंध में संसद सदस्‍य श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा पूछे गए दिनांक 08 अगस्‍त, 2018 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 232 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्‍लिखित विवरण।**

**(क) से (ग):** सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को निर्देश दिया है कि उपभोक्‍ताओं को सुनियोजित तरीके से कम बिक्री करने सहित कदाचारों के मामलों को बिल्‍कुल भी बर्दाश्‍त नहीं किया जाना चाहिए।ओएमसीज को ऐसे कदाचारों का सहारा लेने वाले खुदरा बिक्री केन्‍द्रों के विरुद्ध कड़ी कर्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 ओएमसीज ने बताया है कि डिस्‍पेंसिंग यूनिट के किसी भी हिस्‍से में कोई वस्‍तु जोड़ने, हटाने, प्रतिस्‍थापित करने अथवा छेड़छाड़ करने सहित मीटरिंग यूनिट/मीटरिंग यूनिट के सील के साथ छेड़छाड़ करने के सिद्ध मामलों में संबंधित खुदरा बिक्री केन्‍द्र डीलरशिपों को समाप्‍त कर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2018) के दौरान, ओएमसीज ने देश भर में उक्‍त कारणों से 200 खुदरा बिक्री केन्‍द्र डीलरशिपों को समाप्‍त किया है। उक्‍त अवधि के दौरान समाप्‍त किए ऐसे खुदरा बिक्री केन्‍द्र डीलरशिपों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे अनुलग्‍नक में दिए गए हैं।

\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**‘पेट्रोल पंपों पर मीटरों में छोड़छाड़’  के संबंध में श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा दिनांक 08.08.2018 को पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 232 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक।**

|  |
| --- |
| पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2018) के दौरान डिस्पेंसिंग यूनिट के किसी भी हिस्से में कोई वस्‍तु जोड़ने,हटाने, प्रतिस्थापित करने अथवा छेड़छाड़ करने सहित मीटरींग यूनिटों/मीटरिंग यूनिट की सील्‍स के साथ छेड़छाड़ के सिद्ध मामलों में समाप्त किए गए खुदरा बिक्री केन्‍द्र डीलरशिपों की राज्य-वार संख्‍या। |
|   | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | अप्रैल-जून 2018 | कुल |
| अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिहार | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दादरा नगर और हैवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमन और डीआईयू | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 4 | 3 | 9 | 1 | 17 |
| हरियाणा | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| महाराष्ट्र | 2 | 1 | 32 | 0 | 35 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| पुदुच्‍चेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| राजस्थान | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| तेलंगाना | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 2 | 2 | 108 | 0 | 112 |
| उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **अखिल भारत** | 18 | 15 | 164 | 3 | 200 |